भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3276
उत्तर देने की तारीख- 20.03.2025

डीएजेजीयूए का कार्यान्वयन

3276. श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री नवीन जिंदलः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) की प्रमुख विशेषताएं, इसके आवंटन और कार्यान्वयन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अभियान में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा क्या विशिष्ट हस्तक्षेप किए गए हैं तथा उनमें से प्रत्येक के लिए वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय आवंटन कितना है;

(ग) क्या सरकार ने मौजूदा जनजातीय कल्याण ढांचे में नई अधिसूचित जनजातियों की पहचान करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने विस्तारित डीएजेजीयूए के सुचारू क्रियान्वयन और सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख) इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को संतृप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) है। प्रत्येक संबंधित मंत्रालय को अभियान के तहत बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और वह उसे सौंपे गए उपाय को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। अभियान

का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच (पहुंच) के माध्यम से संतृप्ति प्राप्त करना है। अभियान के तहत विभिन्न उपायों के साथ लक्ष्यों और वित्तीय आवंटन के मंत्रालय-वार ब्यौरे अनुलग्नक-I पर हैं।

(ग) नव अधिसूचित जनजातीय समुदाय, संबंधित दिशा-निर्देशों के मौजूदा मानदंडों/मापदंडों के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत स्वतः ही शामिल हो जाते हैं।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/जिला प्रशासनों से आईईसी शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया है, जिसका उद्देश्य अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करना और आधार कार्ड, जनधन बैंक खाता आदि जैसे बुनियादी दस्तावेजों को बनवाने में सुविधा प्रदान करना है, जो विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हैं।

****

अनुलग्नक-I

“डीएजेजीयूए का कार्यान्वयन” के संबंध में श्रीमती पूनमबेन माडम और श्री नवीन जिंदल द्वारा दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3276 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विभिन्न उपायों के साथ लक्ष्य और वित्तीय आवंटन के मंत्रालय-वार ब्यौरे

क्र.सं.	मंत्रालय	उपाय/ (योजना)	लक्ष्य	वित्तीय स्थिति (करोड़ रुपये में)
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)	पक्के मकान- (पीएमएवाई)-ग्रामीण	20 लाख मकान	33800
		सम्पर्क सड़क - (पीएमजीएसवाई)	25000 किमी सड़क	25000
2	जल शक्ति मंत्रालय	जल आपूर्ति-जल जीवन मिशन (जेजेएम)	(i) हर पात्र गांव (ii) 5,000 बस्तियाँ ≤ 20आवास	50
3	विद्युत मंत्रालय	घरों का विद्युतीकरण-(नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना-आरडीएसएस)	प्रत्येक अविद्युतीकृत आवास और असंबद्ध सार्वजनिक संस्थान	1528
4	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	ऑफ-ग्रिड सोलर कनेक्शन नई सौर ऊर्जा योजना	(i) प्रत्येक अविद्युतीकृत आवास और सार्वजनिक संस्थान जो ग्रिड के माध्यम से कवर नहीं किए गए हैं।	400
5	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयाँ-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1000 एमएमयू तक	1694
		आयुष्मान कार्ड - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)-एनएचए	अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पात्र आवास को शामिल किया गया	50
6	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	एलपीजी कनेक्शन-(पीएम उज्ज्वला योजना)	25 लाख आवास	550

7	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनबाडी केन्द्रों की स्थापना - पोषण 2.0	8000 (2000 नये आंगनवाड़ी केंद्र) और 6000 का सक्षम एडब्ल्यूसी में उन्नयन)	300
8	शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण-समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)	1000 छात्रावास	2750
9	आयुष मंत्रालय	पोषण वाटिकाएँ- राष्ट्रीय आयुष मिशन	700 पोषण वाटिकाएँ	50
10	दूरसंचार विभाग	4जी/5जी नेटवर्क सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (डीओटी)	5000 गांव	500
11	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	कौशल भारत मिशन (मौजूदा योजनाएँ)/प्रस्ताव	जनजातीय जिलों में कौशल केंद्र	81
			1000 वीडीवीके, जनजातीय समूह आदि	100
12	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सहयोग से जनजातियों के लिए डिजिटल पहलें	पीएम गतिशक्ति पोर्टल के साथ मंत्रालय विशिष्ट पोर्टलों का विकास और एकीकरण	250
13	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना – कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की कई योजनाएँ	एफआरए पट्टा धारक (~2 लाख लाभार्थी)	2500
14	मत्स्य पालन विभाग	मछली पालन सहायता-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	10,000 समुदाय और 1,00,000 व्यक्तिगत लाभार्थी	375
	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	पशुधन पालन- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	8500 व्यक्तिगत/समूह लाभार्थी	75
15	पंचायती राज मंत्रालय	एफआरए पर क्षमता निर्माण-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	एफआरए से निपटने वाले उप मंडल, जिला और राज्य स्तर पर सभी ग्राम सभाएं और संबंधित अधिकारी	30

16	पर्यटन मंत्रालय	जनजातीय गृह-आवास (होम स्टे) - स्वदेश दर्शन	1000 जनजातीय गृह-आवासों (होम स्टे) के लिए 5 लाख रुपये प्रति इकाई (नए निर्माण के लिए), 3 लाख रुपये (नवीनीकरण) और ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता ।	60
17	जनजातीय कार्य मंत्रालय	डीएजेजीयूए	अन्य उपायों को शामिल करके एससीए का दायरा जनजातीय विकास/पीएमएएजीवाई तक बढ़ाना#	9013
*100 जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र, आश्रम विद्यालयों, छात्रावासों, सरकारी/राज्य जनजातीय आवासीय विद्यालयों की अवसंरचना में सुधार, सिकल सेल रोग (एससीडी) के लिए सक्षमता केंद्र और परामर्श सहायता, एफआरए और सीएफआर प्रबंधन उपायों के लिए सहायता, एफआरए सेल की स्थापना और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जनजातीय जिलों के लिए प्रोत्साहन के साथ परियोजना प्रबंधन निधियां।				

अभियान के अंतर्गत योजनाएं मंत्रिमंडल द्वारा संबंधित योजनाओं के अनुमोदन के विषयाधीन हैं।

*****